हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

14/08/25 को पेश हो।

14 8/25 पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 29/8/25 को पेश हो।

29 8/25 पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 132, 133, 139, 140, 146 वाके ग्राम सुहरी पटवार मण्डल बडगांव में स्थित है जो कि प्रार्थीगण के पिता व पति व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता व पति प्रभूलाल की मृत्यु हो चुकी है जिनका अभी नामान्तकरण नहीं खुला है। विवादित भूमियों को विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा बिना बंटवारा करवाए ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को भूमि बेचान कर दी है। अजनबी क्रेता को अपना हिस्सा अलग कराए बिना भूमि पर कब्जे में आने का कोई हक व अधिकार नहीं है। दौराने वाद विचारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपना हिस्सा तय कराए बिना विवादित भूमियों में कब्जा नहीं करने व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 103 के खसरा नम्बरान 132, 133, 139, 140, 146 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहरी प0म0 बडगांव में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण के पिता/अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किएँ जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :- विवादित भूमि खाता संख्या 103 के खसरा नम्बरान 132, 133, 139, 140, 146 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहरी प0म0 बडगांव में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण के पिता/अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। बिना विधिवत बंटवारा करवाए हुए किसी अजनबी क्रेता को संयुक्त खातेदारी की भूमि में दखलदांजी करने का कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा/...

<u>सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त</u> :- विवादित भूमि खाता संख्या 103 के खसरा नम्बरान 132, 133, 139, 140, 146 कुल किता

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	5 कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहरी प0म0 बडगांव में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण के पिता/अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। बिना विधिवत बंटवारा करवाए हुए किसी अजनबी क्रेता को संयुक्त खातेदारी की भूमि में दखलदांजी करने का कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बन रहा है। अपूर्णीय क्षति की संभावना :— विवादित भूमि खाता संख्या 103 के खसरा नम्बरान 132, 133, 139, 140, 146 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहरी प0म0 बडगांव में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण के पिता/अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। बिना विधिवत बंटवारा करवाए हुए किसी अजनबी क्रेता द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बनने एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 103 के खसरा नम्बरान 132, 133, 139, 140, 146 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहरी प0म0 बडगांव के किसी भी भू—भाग पर बिना बंटवारा करवाए कब्जा नहीं करें, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली